न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - लाडनूं (नागौर)

"न्याय आपके द्वार अभियान" केम्प :- ओडिट

पीठासीन अधिकारी :- मुरारी लाल शर्मा R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :- 2013/90

दायर दिनांक :- 30.05.2013

वादीनी		प्रतिवादी
मनोहरी देवी पत्नि रामकरण जाति - मेघवाल निवासी सुकास तहसील - लाडनूं जिला नागौर	ब नाम	तहसीलदार - लाडनूं

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, रेकार्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री मुमताज खान अधिवक्ता वादीनी

—:: निर्णय ::-

दिनांक: 17.06.2016

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी का पैतृक खेत खसरा नम्बर 170/112 रकबा 14.17 बीघा सरहद सुकास तहसील लाडनूं में स्थित है। यह भूमि पहले वादीनी के पति रामकरण व उनकी फौतगी के बाद वादीनी के पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी। उपरोक्त भूमि का उपयोग व उपभोग वादीनी ही करती आ रही है व वादीनी का ही कब्जा काश्त है। वादीनी के पुत्र की ना औलाद फौत हो चुकी है। ना औलाद मृत्यु हो जाने के कारण वादीनी ही काश्तकार है व वादीनी का ही एकमात्र कब्जा है। वादीनी का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने के कारण यह दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा अन्दर मयाद व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना वादीनी है कि खेत खसरा नम्बर 170/112 रकबा 14.17 बीघा सरहद सुकास में वादीनी के पुत्र का नाम हटाकर वादीनी के नाम खातेदारी दर्ज करावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही के तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश किया कि वादीनी का पुत्र ना औलाद फौत हुआ है परन्तु वो शादीशुदा था तथा उसकी पत्नि सुमन है। सुमन को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है वादीनी का दावा काबिले खारिज है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान केम्प ग्राम पंचायत ओडिट मे पेश हुई।

प्रस्तुत वाद में वादीनी खसरा नम्बर 170/112 रकबा 14.17 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने की इस्तदुआ कर रही है। वादीनी का कथन है कि खातेदार राजूराम उसका पुत्र था जिसकी मृत्यु ना औलाद हो चुकी है इसलिए वादीनी ही एकमात्र काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी की आपत्ति है कि राजूराम की पत्नि सुमन भी है जिसको पक्षकार नहीं बनाया

xxxxx

है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार खातेदार रघुनाथ पुत्र रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है जिसका इन्तकाल अंदर राजस्व रेकर्ड में नहीं हुआ है। मौके जांच व मजमे आम से पूछताछ करने पर मृतक खातेदार की पत्नी सुमन है जो खातेदार के जीवनकाल में ही उसे छोड़कर चली गयी थी तथा उसके पुत्र व पुत्री नहीं है। अतः वादिनी का दावा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम से नामान्तरकरण की कार्यवाही करने बाबत तहसीलदार लाडनूं को आदेशित किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा आंशिक डिक्री जारी किया जाकर मृतक खातेदार रघुनाथ पुत्र रामस्वरूप के विधिक वारिसान की जांच कर खाता नम्बर 170/112 सरहद लुकास तहसील लाडनूं के नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही करने का आदेश तहसीलदार लाडनूं को दिया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(मुरारी लाल शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

निर्णय आज दिनांक 17-06-2016 को ग्राम पंचायत में उपस्थित मजमे आम में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
लाडनूं

Scanned by CamScanner